(155)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3309—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—09—2014 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील व जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 91/अपील/अ—70/2013—14.

.....

धनीराम बसोर पुत्र हलकईया बसोर
निवासी—ग्राम महेवा , तहसील व जिला
छतरपुर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1— विजयान्त अग्रवाल पुत्र रामकृष्ण अग्रवाल
निवासी छतरपुर म0प्र0

2— लक्ष्मण पुत्र गोरेलाल बसोर
निवासी पहाड़ी हीराजू राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 के0 वाजपेयी , अभिभाषक, अनावेदक—1
अनावेदक—2 पूर्व से एक पक्षीय

.....

आदेश

(आज दिनांक 17-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील व जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—09—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.13 की जानकारी अनावेदक विजयान्त अग्रवाल पुत्र रामकृष्ण अग्रवाल निवासी छतरपुर म0प्र0 आदि को जब हुई हल्का पटवारी महेवा के द्वारा इस आश्य की मोबाइल पर सूचना दी गई कि दिनांक 10.3.14 को प्रश्नाधीन स्थल की जांच की जाना हैं दिनांक 11.3.14 को नकल आवेदन

प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 13.3.14 को अपील प्रस्तुत की गई, ऐसी स्थिति में संसूचना की तारीख से प्रस्तुत अपील विहित समयावधि में ग्राह्य करने हेतु विलंब क्षमा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं शपथ पत्र से परिपोषित भी किया गया है।

3–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 1985/3 स्थित ग्राम महेवा रकवा 1.586 जो कि आवेदक स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिसके संबंध में आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र महेवा तहसील छतरपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आनावेदक कमांक –1 द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरस्ती अपनी बताकर तारफेन्सी कर रहे हैं, जिसे रोका जाये जिस पर से न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र महेवा तहसील छतरपुर के द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर उसमें आदेश पारित कर दिनांक 25.10.13 को अनावेदक से कब्जा हटा कर लोहे के पोल हटाने का आदेश दिया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी कहा है कि आवेदक नौगांव छतरपुर में मुख्य मार्ग पर शासन द्वारा पटट्ा दिया गया था जिसका कब्जा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के द्वारा सोंपा गया था। तभी से आवेदक कृषि कार्य करता चला आ रहा है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे, तथा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का आदेश निरस्त कर आवेदक को न्यायदान दिया जावे।

4–अनावेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अनावेदक को कोई सूचना नहीं हुई जिसमें बिहारी शर्मा तामील कुनिन्दा के द्वारा इस आशय के शपथ पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई हे जिसकी कंडिका कमांक –2 में यह अंकित है कि नोटिस पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर किसी ने कर दिये हैं एवं उसे उक्त कथित नोटिस की जानकारी नहीं हैं विवादित खसरा नं0 2985/3 स्थित मौजा महेवा के नक्शे की दिनांक 18.2.02 की छाया प्रति माननीय चतुर्थ सत्र न्यायाधीश छतरपुर के द्वारा निराकृत आदि की छाया प्रति प्रस्तुत की हैं। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि विजयान्त अग्रवाल जिला चिकित्सालय में 29.8.2011 तक आई.सी.यू में एडमिट रहा एवं तत्पश्चात बीमार होने के कारण ग्वालियर होस्पीटल में एडमिट रहा। अस्वस्थ्यता के कारण वह तत्समय अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित

कार्यवाही से संसूचित नहीं हो सका। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिहारी शर्मा के शपथ पत्र से स्पष्ट है कि अनावेदक को फर्जी तरीके से नोटिस जारी किया गया। ऐसी स्थिति में संपूर्ण प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों के अन्वेषण एवं विश्लेषण उपरांत न्याय दान के उददेश्य से विलंब क्षमा कर आवेदन स्वीकार किया गया है जो अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का आदेश विधिसंगत है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इसी न्यायालय का 2010 राजस्व निर्णय 111 का न्याय दृष्टांत का हवाला दिया गया जिसमें यह व्यवस्था दी गई है कि समय वर्जित अपील– न तो सूचना दी गई और न सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया–आदेश की जानकारी समय से न होना स्वभाविक है–विलंब क्षमा किया जाना अनुचित नहीं हैं । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि संगत होने के कारण स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों पर बल दिया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया ।

6– मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों का अध्ययन करने पर पाया जाता है कि दिनांक 20.6.13 को प्रकरण अवलोकन हेतु नियत किया गया दिनांक 18.7.13 को प्रकरण पूर्ववत कार्यवाही हेतु नियत किया गया, दिनांक 11.10.13 को प्रकरण का अवलोकन किया प्रकरण में पाया कि राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट व पटवारी की रिपोर्ट संलग्न है, **"आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने प्रकरण आदेशार्थ दिनांक 25.10.13"** और उसी दिनांक 25.10.13 को आदेश पारित कर दिया गया। मेरे द्वारा तहसीलदार के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदक कमांक–1 विजयान्त अग्रवाल पेज कमांक 164 से 168 तक उनके जिला चिकित्सालय छतरपुर के एडमिट के पर्चे एवं डिसचार्ज के पर्चे संलग्न है इससे यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक को आदेश की जानकारी नहीं थी। **"म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा –47 एवं परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलंब क्षमा कर सकता है। उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलंब मांफ किया जायेगा।"**

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है, तथा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का प्रकरण कमांक 91/अपील/अ–70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22.9.14 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण दाखिला दर्ज हो।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर